

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,  
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

गंगल्या बनाम फैलीराम वगेरहा

वाद संख्या.....107.../2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
13.07.2018	यह वाद पत्र वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश शर्मा नयावास ने प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 07.09.2018 को पेश हो।
07/9/18	<p>वाक्या पत्र नु. १०७/१८</p> <p>अवरक हेतु दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 15/11/18 को पेश हो।</p>
15/11/18	<p>वाक्या पत्र नु. १०७/१८</p> <p>अवरक हेतु दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 26/2/19 को पेश हो।</p>
26/2/19	<p>वाक्या पत्र नु. १०७/१८</p> <p>अवरक हेतु दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 10/6/19 को पेश हो।</p>
10/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई। दलील गरी रूप पत्रावली पूर्वानुसार बाँस्ते तलबी/जवाब दिनांक 19/8/19 को पेश हो।</p>
19/8/19	<p>पत्रावली पेश हुई। रबील वादी को बार-बार आवाज लगावाई गई किन्तु उपरिणत नहीं। अतः वादी के खास को कदम हावरी के कदम पेशी में खास किया जाता है। पत्रावली फेराल भुगत होकर गमर से को होखाड मुक्ति करील उपर (ध)</p>

(विश्वामित्र मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

